भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3057

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942(शक)

केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा उठाई गई शिकायतें

3057. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री के. नवासखनी:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा उठाई गई शिकायतों के संबंध में सुधारात्मक उपाय करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने आम जनता सहित हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु 4 नियम, नामतः, मजदूरी संहिता (केन्द्रीय) नियम, 2020, औद्योगिक संबंध (केन्द्रीय) नियम, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता (केन्द्रीय) नियम, 2020, तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2020, पूर्व-प्रकाशित किए हैं। इन प्रारूप नियमों पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 और 12 जनवरी, 2021 को चर्चा करने के लिए सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से त्रिपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

प्रारूप नियमों पर चर्चा करने के लिए वास्तविक बैठकें आयोजित करने का अनुरोध करते हुए 10 ट्रेड यूनियनों से संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तदनुसार, तीसरी त्रिपक्षीय बैठक वास्तविक रूप से दिनांक 20 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। नियमों को अंतिम रूप देते समय इन त्रिपक्षीय बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है।

*****